

07/3/18

श्रीमान पी. 0. 1814 744121 पं. के
कारण आज दिनांक 07/3/18 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 28/3/18 को
की जावेगी।

29/3/18

श्रीमान पी. 0. 1814 744121 पं. के
कारण आज दिनांक 29/3/18 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 29/3/18 को
की जावेगी।

उपस्थित अधिकारी

12/3/18

श्रीमान पी. 0. 1814 744121 पं. के
कारण आज दिनांक 12/3/18 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 26/3/18 को
की जावेगी।

26/3/18

श्रीमान पी. 0. 1814 744121 पं. के
कारण आज दिनांक 26/3/18 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 11/4/18 को
की जावेगी।

श्रीमान पी. 0. 1814 744121 पं. के
कारण आज दिनांक 11/4/18 को
विचाराधीन राजस्व मुकदमात की
सुनवाई दिनांक 21/5/18 को
की जावेगी।

श्रीमती लोका
54547
8518

14/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/
कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 ग्राम
पंचायत चैनपुर करिया पर पेश हुई।
प्राथीनं 1 वाकजूद लामील उपस्थित नहीं
हुई। प्राथीनं 2 उपस्थित हुआ जिसमें
वपान लिपि जाकर शामिल पत्रावली किये
गये। अप्राथीनं लैम्ड डीव्ड तहसीलदार
तहसील करौली उपस्थित जिनके द्वारा

निष्कर्षित
पत्रावली पर
3212
MLST

शिविर कैम्प चेंबर वरिष्ठा ने अग्रिम जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदन द्वारा अपने पति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चिरंजी के स्थान पर कल्याण उर्फ चिरंजी दर्ज करने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। वदखीलदार करौली द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 1.2.18 में भी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की इत्तु हुआ की है।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में प्रार्थी गण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके आधार पर यह साबित होगा है कि कल्याण उर्फ चिरंजी दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है।

अतः प्रार्थना पत्र विना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैलल शुमार देकर नम्बर से कम हो वाद तकमिल डारिबल दफ्तर है।

Atman
 न्यायकी इत्य

Atman
 न्यायकी इत्य